

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/173

मुकदमा नम्बर 41/2025

दर्ज दिनांक- 07.04.2025

बाला राम पुत्र श्री भूरा राम, निवासी सुरजनपुरा भोजनगर, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक : - श्री सज्जन चाहर

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम टोकछिलरी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में खाता सं. नया 141 पुराना 123 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 894 रकबा 1.40 है0, खसरा नं. 895 रकबा 1.66 है0, खसरा नं. 895 रकबा 1.66 है0, खसरा नं. 896 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.54 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र भूरा के स्थान पर बाला राम पुत्र भूरा राम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नहीं किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोकछिलरी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में खाता सं. नया 141 पुराना 123 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 894 रकबा 1.40 है0, खसरा नं. 895 रकबा 1.66 है0, खसरा नं. 895 रकबा 1.66 है0, खसरा नं. 896 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.54 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र भूरा के स्थान पर बाला राम पुत्र भूरा राम, दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू